न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न. मु. 99/18

सीताराम पुत्र दानाराम जाति कुम्हार निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1 श्रीमती तीजू देवी पत्नी मॉगीलाल जाति कुम्हार निवासी ढ़ाणी कुम्हारान् तहसील बीदसर जिला चूरू राज.

2 मॉगीलाल पुत्र सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी ढ़ाणी कुम्हारान् तहसील बीदसर जिला चूरू राज.

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर चूरू

अप्रार्थीगण

4 श्रीमान मैनेजर साहब बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण अप्रार्थी

उपस्थित :– श्री अमरसिंह वकील प्रार्थी

श्री मोहम्मद शाहिद वकील अप्रार्थी सख्या 1 व 2

पैरोकार राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

प्रार्थी सीताराम पुत्र दानाराम जाति कुम्हार निवासी बीदासर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मै प्रार्थी आपके उपखण्ड में खेत खसरा नम्बर 1062/403 तादादी 13–15 बीघा (3.4778 हैक्टेयर) वाके रोही ग्राम ढ़ढ़ेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू की खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक हूॅ जो कि नया मार्ग बनाने हमारी जोत में प्रवेश के प्रयोजनार्थ मै राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (अधिनियम की सख्या 3) की धारा 251 अ की उपधारा 1 व 2 के अधीन अनुमति के लिए आवेदन कर रहा हूॅ। मेरे उक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1062/403 पुख्ता बारानी सोयम की भूमि में

लगातार.....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

आवागमन के लिए नया रास्ता खेत खसरा नम्बर 341 तादादी 4.0848 हैक्टेयर की भूमि में से भूमि जो अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 के खातेदारी की जोत का खेत है में से नया मार्ग बनाने के लिए आवेदन कर रहा हूँ जो अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 का विवरण उपर वर्णित अप्रार्थीगण का पूर्ण दिया हुआ है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1062/403 वाके रोही ढ़ढ़ेरू भांभूवान की भूमि में आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता सिवाय खसरा नम्बर 341 के नहीं लगता है। मुझ खातेदारी प्रार्थी के खातेदारी खेत में नया मार्ग की अति आवश्यकता है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में मै प्रार्थी नया रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नमबर 341 से कायम कराने के लिए आवेदन करता हूँ। बीदासर ढ़ढ़ेरू की और से ग्रेवल मार्ग खसरा नम्बर 346, 347 व खसरा नम्बर 343 व खसरा नम्बर 342 व 341 के बीच में से केवल मार्ग (सड़क) चालू है में से खसरा नम्बर 341 की भूमि में से 51 गठ्ठा लम्बा व 2 गठ्ठा चौड़ा कुल 05 बिश्वा भूमि का नया मार्ग के लिए प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिए कायम करवाना चाहता है जो कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र को अच्छी तरीके से समझने के लिए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। इसी के मुताबिक नया रास्ता खुलाया जावे। नया मार्ग बनाने की आवश्यकता रास्ता खुलवाया जावे नया मार्ग बनवाना चाहता हूँ आदि आदि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1, 2 की और से श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना मय प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज विभाजन प्रस्ताव, फोटोग्राफ, प्रमाणित प्रति विक्रय पत्र दिनांक 22–9–2016 प्रस्तुत किये। अप्रार्थी सख्या 3 तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट बाबत रास्ता प्राप्त हुई। बहस उभय पक्षकारान् के अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हूए खेत खसरा नम्बर 421 की दक्षिणी सींव के चिपता चिपता रास्ता कायम करवाने का निवेदन किया साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी ने पूर्व तरफ के प्रचलित मार्ग से प्रार्थी के खेत की दूरी आवेदित मार्ग से कम होने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र के दौहराते हूए निवेदन किया की प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (अ) की उपधारा (1) के अधीन रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है प्रार्थी का उक्त खेत खसरा नम्बर 1062/403 मूल खसरा नम्बर 403 रकबा 22–07 बीघा रहा है जिसके

लगातार....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

पूर्व खातेदार जगुराम, तोलाराम किस्तुराराम पि. स्व. छगनाराम कुम्हार रहे है। खसरा नम्बर 403 के खसरा नम्बर 403 के खातेदारान् जगुराम, तोलाराम व किस्तुराराम पुत्रगण स्व. छगनाराम जाति कुम्हार छापोला ने अपने खेत खसरा नम्बर 403 रकबा 22–07 बीघा का आपसी सहमति विभाजन कराने का तहसीलदार महोदय बीदासर के समक्ष दिनांक 23–6–2014 को प्रस्तुत कर विभाजन का आदेश पारित करवाया तथा मुताबिक आदेश राजस्व रेकार्ड में खातेदारी का विभाजन किया जाकर अलग अलग खसरें कायम कर अलग अलग लगान कायम किया गया। उक्त खसरा नम्बर 403 का विभाजन करवाने के वक्त विभाजन प्रार्थना पत्र के हमराह प्रस्तुत विभाजन सहमति पत्र में प्रत्येक "खातेदारान् के आवागमन बाबत पगड़डी रास्ता छोड़ा है जो भविष्य में आवागमन के काम आवेगा तथा विभाजन प्रस्ताव के नक्शे में विस्तृत वर्णित किया गया है" का स्पष्ट अंकन किया गया है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के प्रार्थी सीताराम वल्द दानाराम जाति कुम्हार निवासी बीदासर ने उक्त भूमि मूल खसरा नम्बर 403 के खातेदार जगुराम पुत्र छगनाराम कुम्हार छापोला निवासी दड़ीबा बीदासर से खरीद की है जिसके सदामद से अगूणी तरफ के सहखातेदारी के खेत खसरा नम्बर 402 में से होकर गुजरने वाला रास्ता लगता रहा है तथा विभाजन करते वक्त उक्त रास्ता में से होकर खसरा नम्बर 403 में से आवागमन का रास्ता तीनों खातेदारान् द्वारा सुनिश्चित किया गया था। तदनुसार बन्टवारा के बाद खातेदार जगुराम द्वारा अपने उक्त खसरा नम्बर 1062/403 रकबा 13–15 बीघा में इसी रास्ते से आवागमन किया गया। खातेदार जगुराम द्वारा अपना उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1062/403 रकबा 13–15 बीघा का विक्रय प्रार्थी सीताराम को किया गया जिसमें आवागमन का साधन खसरा नम्बर 402 व 403 के पार्ट में से होकर रहा है। प्रार्थी सीताराम के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1062/403 के पूर्वी तरफ के खेत खसरा नमबर 403 व 402 के सैकड़ो वर्ष पुराना रास्ता लगता है जो मौके पर मौजूद है जिसमें से होकर उक्त खसरा नम्बर 403 व 402 के खातेदारान् व इस रास्ता के अन्य खातेदारान् द्वारा आवागमन किया जा रहा है रास्ता किसी प्रकार से अवरूद्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी तीजू देवी पत्नी मॉगीलाल व मॉगीलाल पुत्र सोहनराम जाति कुम्हार निवासी ढ़ाणी कुम्हारान् से उनके खसरा नम्बर 341 में से रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 341 व 342 के बीच में से होकर गुजरने वाता मार्ग कटानी रास्ता नही है तथा ना ही राजस्व रेकार्ड में इस रास्ता का कहीं अंकन है। ग्राम पंचायत द्वारा वर्षो पुराना रास्ता होने के कारण इस रास्ते पर ग्रेवल डाली हुई है। खसरा नम्बर 341 व 342 की सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थीगण के

लगातार....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

खातेदारी अधिकारों की भूमि है जिसमें से किसी प्रकार का कटाणी मार्ग रेकार्डेड नहीं होने के कारण प्रार्थी को अप्रार्थीयान् से रास्ता भूमि लेने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थी सीताराम ने जब उक्त भूमि खसरा नम्बर 1062/403 की खरीद की उस वक्त विक्रय पत्र दिनांक 22-9-2016 में खेत में आवागमन रास्ता लगना वर्णित है जिसमें विक्रेता व क्रेता के हस्ताक्षर है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 341 व 342 के मध्य किसी प्रकार का रेकार्डेड कटानी मार्ग नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रस्तुत प्रकरण के समस्त दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार बीदासर का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तसीलदार बीदासर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह प्रकट स्थिति है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये खेत खसरा नम्बर 1062/403 मूल खसरा नम्बर 403 का पश्चिमी हिस्सा है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के उक्त खसरा के रास्ता लगता था तथा विभाजन प्रस्ताव में रास्ता दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा भूमि खरीद करने के दस्तावेज में आवागमन के रास्ते का स्पष्ट उल्लेख है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज, तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट, नक्शा से जाहिर होता है कि प्रार्थी के खरीद के वक्त से खसरा नम्बर 1062/403 के आवागमन का रास्ता लगता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

लिहाजा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज, तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट, मौका नक्शा से प्रार्थी के खरीद के वक्त से खसरा नम्बर 1062/403 के आवागमन का रास्ता लगने के कारण प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनाक 24-9-2019 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

श्योराम वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू